भारत सरकार

आयुष मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 2309

13 फरवरी, 2026 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर

बीएएमएस डॉक्टरों द्वारा आयुर्वेदिक और एलोपैथिक दवाओं का उपयोग

2309. श्री ईश्वरस्वामी के.:

क्या आयुष मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या बैचलर ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन एंड सर्जरी (बीएएमएस) के डॉक्टर मरीजों के इलाज के लिए आयुर्वेदिक और एलोपैथिक दोनों दवाओं का उपयोग कर रहे हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या एलोपैथिक दवाओं के उपयोग की पद्धति सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

(ग) क्या आयुर्वेदिक दवाओं का लाभ उठाने वाले मरीजों को तत्काल राहत प्रदान करने के लिए कोई अध्ययन किया गया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

आयुष मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री प्रतापराव जाधव)

(क) और (ख): भारतीय चिकित्सा पद्धति राष्ट्रीय आयोग (एनसीआईएसएम) अधिनियम, 2020, राष्ट्रीय होम्योपैथी आयोग (एनसीएच) अधिनियम, 2020 और राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग (एनएमसी) अधिनियम, 2019 के प्रावधानों के अनुसार, इन अधिनियमों के तहत पंजीकृत चिकित्सक अपनी संबंधित चिकित्सा पद्धतियों में अभ्यास करने के हकदार हैं। तदनुसार, एलोपैथिक चिकित्सा का अभ्यास राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग (एनएमसी) अधिनियम, 2019 के कार्यक्षेत्र में आता है, इसलिए राज्य रजिस्टर अथवा राष्ट्रीय रजिस्टर में नामांकित व्यक्ति, जैसा भी मामला हो, उसे एक योग्य चिकित्सक के रूप में चिकित्सा-अभ्यास करने की अनुमति दी जाएगी। इसके अलावा, भारतीय चिकित्सा पद्धति राष्ट्रीय आयोग (एनसीआईएसएम) अधिनियम, 2020 के प्रावधानों के अनुसार, भारतीय चिकित्सा पद्धति के चिकित्सकों को उस राज्य के राज्य रजिस्टर में नामांकित होने पर, किसी राज्य में वर्तमान में लागू किसी कानून या उसके तहत प्रदत्त किसी भी चिकित्सा पद्धति का अभ्यास करने का अधिकार है। इसके अलावा, "जन स्वास्थ्य" राज्य का विषय है और कुछ राज्य सरकारों ने अपनी आवश्यकता के अनुसार आयुष चिकित्सकों द्वारा लिखे जाने वाले नुस्खों में एलोपैथिक दवाओं को सीमित मात्रा में उपयोग करने की अनुमति दी है।

(ग) और (घ): आयुष मंत्रालय, अपनी अनुसंधान परिषदों और संस्थानों के माध्यम से विभिन्न स्वास्थ्य स्थितियों के लिए आयुर्वेदिक दवाओं और उपचारों पर नैदानिक और परिणाम-आधारित अध्ययनों सहित आयुर्वेद में अनुसंधान का समर्थन और संवर्धन करता है। हालांकि आयुर्वेद एक समग्र उपचार दृष्टिकोण का अनुपालन करता है, इसलिए विभिन्न रोग स्थितियों में चिकित्सीय परिणामों और रोगसूचक राहत का मूल्यांकन करने के लिए कई शोध और नैदानिक अध्ययन किए गए हैं। मंत्रालय ने आयुर्वेदिक उपचारों के वैज्ञानिक सत्यापन को सुदृढ़ करने के लिए संरचित अनुसंधान कार्यक्रमों के माध्यम से साक्ष्य उत्पादन को प्रोत्साहित करना जारी रखा है। इसके अलावा, अब तक आयुर्वेद में 4213 नैदानिक अनुसंधान अध्ययन प्रकाशित किए गए हैं।

*****